

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. शिक्षा निदेशक माध्यमिक,
उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उ0प्र0।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—2

लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

विषय—“प्रोजेक्ट अलंकार” योजनान्तर्गत प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में अनुरक्षण से सम्बंधित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश की छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय विद्यालयों का अहम योगदान है। वर्तमान में प्रदेश में 2272 राजकीय विद्यालय संचालित है, जिनमें से कतिपय विद्यालय अत्यधिक पुरातन होने के कारण मरम्मत योग्य हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ऐसे राजकीय विद्यालयों, जिनके भवन पुरातन होने के कारण मरम्मत की अवस्था में है, के अनुरक्षण कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के लेखाशीर्ष—2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—109—राजकीय माध्यमिक विद्यालय—03—बालक एवं बालिका—29—अनुरक्षण मद में ₹0 20.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि का पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपयोग सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा “प्रोजेक्ट अलंकार” योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है।

2— प्रश्नगत योजना से माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालय आच्छादित होंगे।

3— **जनपदीय समिति:**— जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपदीय समिति का निम्नवत् गठन किया जायेगा:—

1.	जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	—	सदस्य
3.	जिला विद्यालय निरीक्षक	—	सदस्य सचिव
4.	अधिशासी अभिन्ना, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड	—	तकनीकी सदस्य

4— जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण किये जाने हेतु उप समिति का गठन किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8 के शासनादेश संख्या—5/2015/ई—8—1092/10—2015—1074/2012 दिनांक 08 सितम्बर, 2015 के द्वारा इम्पैनेल्ड राजकीय निर्माण एजेन्सियों के सापेक्ष किसी एक एजेन्सी के नाम का संस्तुति सहित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जनपदीय समिति उप समिति द्वारा राजकीय विद्यालयों हेतु प्रस्तावित कार्यों का आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर परीक्षण कर शासन स्तर से अनुमोदित राजकीय कार्यदायी संस्था से लोक निर्माण विभाग की अद्यतन सर्किल

दरों पर प्रारम्भिक आगणन गठित कराकर प्रपत्र-बी पर शिक्षा निदेशक (मा०) प्रयागराज को समुचित प्रस्ताव उपलब्ध करायेगी।

5— **उप समिति:**— जिलाधिकारी द्वारा राजकीय विद्यालयों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण किये जाने व निरीक्षणोपरान्त आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण कार्यों को चिह्नित किये जाने हेतु तहसीलवार/विद्यालयवार एक उप समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा:—

1.	उप जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
2.	तहसीलदार	—	सदस्य
3.	सम्बन्धित राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के इतर किसी अन्य राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या (जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयवार नामित किया जायेगा।)	—	सदस्य
4.	सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा।)	—	तकनीकी सदस्य

6— उक्त उप द्वारा समिति विद्यालयों की भौतिक स्थिति का निरीक्षण प्रस्तर-०९ में उल्लिखित वरीयता क्रम के आधार पर किया जायेगा तथा विद्यालयवार प्रपत्र-ए तैयार कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से जिला समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

7— जनपदीय समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन के परीक्षण हेतु शिक्षा निदेशक(मा०) की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर परीक्षण किया जायेगा:—

1.	शिक्षा निदेशक(मा०)	—	अध्यक्ष
2.	वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा, प्रयागराज	—	सदस्य
3.	अपर शिक्षा निदेशक(राजकीय)	—	सदस्य
4.	अपर राज्य परियोजना निदेशक, आर०एम०एस०ए०	—	सदस्य
5.	शिक्षा निदेशक(मा०) द्वारा नामित किसी राजकीय निर्माण एजेन्सी के अधिशासी अभियन्ता से अन्यून स्तर के अधिकारी	—	तकनीकी सदस्य
6.	शिक्षा निदेशक(मा०) द्वारा नामित अधिकारी	—	सदस्य सचिव

8— शिक्षा निदेशक माध्यमिक की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति जनपदीय समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं आगणन का आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर परीक्षण करते हुए शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर योजनान्तर्गत प्रस्तावित विद्यालयों का क्रमवार प्रस्ताव/आगणन प्रपत्र-बी पर शासन को सम्मय उपलब्ध कराया जायेगा।

9— राजकीय विद्यालयों में अनुरक्षण सुविधाओं को निमांकित वरीयता क्रम में चिह्नित किया जायेगा:—

- दीवार, छत एवं फर्श की मरम्मत का कार्य।
- खिड़की, दरवाजे की मरम्मत का कार्य।
- रंगाई पुताई का कार्य।
- शौचालय, घेयजल से सम्बन्धित मरम्मत का कार्य।
- बाउन्ड्रीवाल एवं गेट की मरम्मत का कार्य।
- दिव्यांग रैम्प की मरम्मत का कार्य।

10- राजकीय विद्यालयों के बीच बजट आवंटन में प्राथमिकता पुरातन भवन तथा ज्यादा छात्रों को दी जायेगी। वरीयता निर्धारण हेतु प्रत्येक विद्यालय का भारांक निम्नानुसार आकलित किया जायेगा:-
(क) विद्यालय की स्थापना वर्ष के आधार पर अंक का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:-

विद्यालय की आयु = 2021-स्थापना वर्ष

- विद्यालय की आयु के प्रथम 30 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष के लिए अंक-0.5
- विद्यालय की आयु के अगले 40 वर्ष तक अर्थात् 31 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य प्रत्येक वर्ष के लिए अंक-1.0
- विद्यालय की आयु के अगले 30 वर्ष तक अर्थात् 71 वर्ष से 100 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष के लिए अंक-1.5
- जिन विद्यालयों की आयु 100 वर्ष या उससे अधिक हो गयी है, उन्हें पूरे अंक अर्थात् 100 अंक दिये जायेंगे।

उदाहरण- यदि विद्यालय 85 वर्ष पुराना है, तो उसका अंक निम्नवत् होगा:-

विद्यालय की आयु=85 वर्ष

$$=30+40+15 \text{ वर्ष}$$

$$\text{अंक}=30 \times 0.5 + 40 \times 1.0 + 15 \times 1.5$$

$$=15+40+22.5$$

$$=77.5$$

(ख) विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर अंक का निर्धारण-

- जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 2000 या उससे अधिक होगी, उन्हें 100 अंक दिया जायेगा।
- जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 2000 से कम होगी, उनमें प्रत्येक 20 छात्र संख्या हेतु 01 अंक दिया जायेगा।

उदाहरण- यदि विद्यालय में छात्र संख्या 1200 है तो उसका अंक निम्नवत् होगा:-

$$1200 / 20 = 60$$

(ग) विद्यालय की स्थापना वर्ष व छात्र संख्या से सम्बन्धित अंकों से भारांक की गणना

- विद्यालय की आयु के आधार पर प्राप्त अंक को 60% भारांक (Weightage) दिया जायेगा।
- विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर प्राप्त अंक को 40% भारांक (Weightage) दिया जायेगा।

भारांक निर्धारण हेतु सूत्र

विद्यालय का भारांक=(स्थापना वर्ष के आधार पर अंक $\times 0.6$)+(छात्र संख्या के आधार पर अंक $\times 0.4$)

उदाहरण- यदि विद्यालय की आयु के आधार पर अंक है-30 तथा छात्र संख्या के आधार पर अंक है -40 तो, भारांक निम्नवत् होगा:-

$$\text{भारांक} = (30 \times 0.6) + (40 \times 0.4)$$

$$= 18 + 16 = 34$$

नोट:- विद्यालय का भारांक बराबर होने पर प्राथमिकता पुरातन भवन को दी जायेगी।

11— प्रश्नगत योजनान्तर्गत जिन राजकीय विद्यालयों का चयन किया जायेगा, उन विद्यालयों में निःशुल्क पौधरोपण का कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के डी०एफ०ओ० को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया जायेगा।

12— प्रश्नगत कार्य हेतु विभिन्न प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् हैः—

प्रपत्र—ए
प्राथमिकता से कराये जाने वाले अनुरक्षण कार्यों की विद्यालयवार सूचना
जनपद का नाम

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	छात्र संख्या	प्राथमिकता से कराये जाने वाले कार्यों का विवरण	कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की अनुमानित लागत	अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
				अनुरक्षण मद हाँ अथवा नहीं		
				दीवार, छत एवं फर्श की मरम्मत का कार्य।		
				खिड़की, दरवाजे की मरम्मत का कार्य।		
				रंगाई पुताई का कार्य।		
				शौचालय, पेयजल से सम्बन्धित मरम्मत का कार्य।		
				बाउन्ड्रीवाल एवं गेट की मरम्मत का कार्य।		
				दिव्यांग रैम्प की मरम्मत का कार्य।		

13— जनपदीय समिति द्वारा प्रपत्र—ए के जिन कार्यों को प्रस्तावित किये जाने योग्य पाया जाता है, उन कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव को निम्नवत् प्रपत्र—बी पर तैयार कराकर शिक्षा निदेशक(मा०) को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र—बी
शासन स्तर पर उपलब्ध बजट से कराये जाने वाले अनुरक्षण कार्यों की जनपदवार सूचना
(धनराशि रु० लाख मे)

क्र. सं.	जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	छात्र संख्या	शासन स्तर पर उपलब्ध बजट से कराये जाने वाले अनुरक्षण कार्यों का मदवार विवरण एवं अनुमानित लागत	कुल लागत
1	2	3	4	5	6	7
					दीवार, फर्श की विद्यालय एवं छत मरम्मत का कार्य। खिड़की, दरवाजे की विद्यालय की आदि का कार्य। विद्यालय पुताई आदि का कार्य। विद्यालय के शौचालय, सम्बन्धित पेयजल से मरम्मत आदि का कार्य। विद्यालय बाउन्ड्रीवाल एवं गेट की मरम्मत का कार्य। विद्यालय दिव्यांग रैम्प की मरम्मत आदि का कार्य।	

14— शिक्षा निदेशक(मा०) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रपत्र—बी का परीक्षणोपरान्त त्रुटिहीन व निर्माण किये जाने वाले विद्यालयों एवं मदों की प्राथमिकता के आधार पर क्रमवार प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

15— प्रश्नगत योजना को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु निम्नवत् समय सीमा निर्धारित हैः—

क्र.सं.	कार्यवाही का स्तर	समय—सीमा
1	जिलाधिकारी द्वारा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—८ के शासनादेश संख्या—५/२०१५/ई—८—१०९२/१०—२०१५—१०७४/२०१२ दिनांक ०८ सितम्बर, २०१५ के द्वारा इम्पैनेल्ड राजकीय निर्माण एजेन्सियों के सापेक्ष किसी एक एजेन्सी के नाम का संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक ०८—१०—२०२१ तक
2	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रपत्र—ए को तैयार कराकर जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक ०८—१०—२०२१ तक
3	जिला स्तरीय समिति द्वारा राजकीय विद्यालय के कार्यों का चयन एवं अनुमानित प्रारम्भिक आगणन का प्रपत्र—बी पर शिक्षा निदेशक, प्रयागराज को प्रेषण।	दिनांक २७—१०—२०२१ तक
4	जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रारम्भिक आगणन को शिक्षा निदेशक(मा०) प्रयागराज द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाना।	दिनांक ०३—११—२०२१ तक
5	शिक्षा निदेशक(मा०) प्रयागराज से प्राप्त आगणन का मूल्यांकनोपरान्त माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।	दिनांक १७—११—२०२१ तक

16— कार्य की गुणवत्ता हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा।

17— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के समस्त प्रस्तावित विद्यालयों का आगणन गठित करते समय तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से कार्य पूर्ण होने तक कार्यों का नियमित अनुश्रवण व स्थलीय निरीक्षण करते हुए अनुरक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

18— जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद को स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र एवं जनपदीय टास्क फोर्स की गुणवत्ता आख्या शिक्षा निदेशक (मा०) प्रयागराज के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

19— योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालय में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अधोमानक व कोई अन्य अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी होंगे।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किये जाने हेतु उपरोक्त अंकित मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचना समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। चूंकि “प्रोजेक्ट अलंकार” योजना समुचित एवं सुरक्षित परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से सम्बन्धित एवं शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत है, अतएव समयबद्धता अपेक्षित है।

भवदीय,


(आराधना शुक्ला)
०१.१०.२०२१
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- 2— स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7— निजी सचिव, सचिव, भूतत्व एवं खनिक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8— समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 9— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 10— समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी, उ०प्र०।
- 11— समस्त परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए०, उ०प्र०।
- 12— समस्त जिला खनन अधिकारी, उ०प्र०।
- 13— समस्त अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
- 14— समस्त उपायुक्त, मनरेगा, उ०प्र०।
- 15— समस्त डी०एफ०ओ०, वन विभाग, उ०प्र०।
- 16— अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय), प्रयागराज।
- 17— वित्त नियन्त्रक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 18— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(शम्भु कुमार)
विशेष सचिव।